संख्या-365/2020/521/22-2-2020-17(329)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भंवरपालसिंह पुत्र श्री महावीरसिंह निवासी जनपद- जनपद-एटा, हाल जनपद- कासगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भंवरपाल सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह] ग्राम-ताजपुर,थाना-सिढ़पुरा,जनपद-एटा, हाल जनपद- कासगंज का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 23.01.1981 को 04 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक व तंमचा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-314/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148,323/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 16.02.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.02.2010 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.03.2020 तक 09 वर्ष 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 07 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, कासगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भंवरपाल सिंह (बन्दी संख्या-16019) पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी जनपद- जनपद-एटा, हाल जनपद-कासगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-365/2020/521(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in